B. Com. (Hons)
P2 – A/cs (H)
Paper – III BRF

प्रो० धनंजय कुमार
सहायक प्राध्यापक
वाणिज्य विभाग
V. S. J. महाविद्यालय
राजनगर, (मधुबनी)

UNIT – I.

CONTRACTS OF AGENCY

सामान्यतः मालिक एवं एजेंट के बीच संबंध स्थापित करने वाली संविदा, एजेंसी की संविदा कहलाती है। अनुबंध अधिनियम की धारा 182 के अनुसार – "एजेंट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी अन्य की ओर से कार्य करने के लिए या अन्य व्यक्तियों से व्यवहारों में किसी अन्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया जाता है। वह व्यक्ति जिसके लिए कार्य किया जाता है, उसे नियोक्ता या मालिक कहा जाता है।"

उपर्युक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि, एजेंसी एजेंट तथा मालिक के बीच एक ऐसा सम्बंध है जिसका जन्म स्पष्ट या गर्भित ठहराव द्वारा किया जाता है जिसके अनुसार मालिक एजेंट को उसकी ओर से कार्य करने या अन्य पक्षकारों के साथ व्यवहारों में उसका प्रतिनिधित्व करने तथा संविदात्मक संबंध स्थापित करने के लिए अधिकृत किया जाता है।

एजेंसी के आवश्यक तत्व निम्नलिखित हैं —

- (i) सम्बंध का नाम एजेंसी होना
- (ii) ठहराव से उत्पन्न होना।
- (iii) गर्भित ठहराव से उत्पन्न होना अर्थात् लिखित का होना अनिवार्य नहीं।
- (iv) नियोक्ता में अनुबंध की क्षमता होना।
- (v) प्रतिफल का होना आवश्यक नहीं। तथा
- (vi) स्वतंत्र सहमति का होना।

Scanned with CamSc

धारा 183 के अनुसार, "कोई व्यक्ति, जो उस पर लागू होने वाले कानून के अनुसार बालिग हो, और स्वस्थ मस्तिष्क वाला हो, एजेन्ट की नियुक्ति कर सकता है।" अतः संविदा करने में सक्षम कोई भी व्यक्ति एजेन्ट की नियुक्ति कर सकता है, जबकि कोई नाबालिग, पागल या दिवालिया व्यक्ति एजेन्ट की नियुक्ति नहीं कर सकता है।

धारा 184 के अनुसार, "मालिक और अन्य व्यक्तियों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए कोई भी व्यक्ति एजेन्ट बन सकता है।" अतः एक नाबालिग भी एजेन्ट के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। क्योंकि एजेन्ट द्वारा किया गया कार्य, मालिक द्वारा किया गया कार्य माना जाता है। इसलिए नाबालिग एजेन्ट के कार्यों के लिए मालिक ही अन्य पक्षकारों के प्रति उत्तरदायी होता है।

एजेन्ट के प्रकार: तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है —

(i) सामान्य एजेन्ट (General Agent) — अर्थात् ऐसे व्यक्ति जिसे किसी विशिष्ट व्यापार या रोजगार से संबंधित सभी कार्यों को करने के लिए नियुक्त किया जाता है, उसे सामान्य एजेन्ट कहा जाता है। जैसे फर्म का मैनेजर।

(ii) विशेष एजेन्ट (Special Agent) — ऐसे व्यक्ति जिसको किसी विशेष कार्य को करने या किसी विशिष्ट संव्यवहार में अपने मालिक का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया जाता है उसे "विशेष एजेन्ट" कहा जाता है।

(iii) सर्वाधिकारी एजेन्ट (Universal agent) — ऐसे व्यक्ति जिसे मालिक से असीमित अधिकार प्राप्त होता है उसे सर्वाधिकारी एजेन्ट कहा जाता है। ऐसे एजेन्ट मालिक की ओर से हर प्रकार का कारोबार करने के व्यापक अधिकार रखता है।

Scanned with CamSc

एजेन्सी की स्थापना निम्न लिखित प्रमुख विधियों द्वारा की जा सकती है —

(A) — स्पष्ट ठहराव द्वारा → Sec. 187 के अनुसार, जब लिखित या मौखिक रूप से शब्दों का उच्चारण करके एजेन्ट की नियुक्ति की जाती है तो उसे स्पष्ट ठहराव द्वारा स्थापित एजेन्सी कहा जाता है.

(B) गर्भित ठहराव द्वारा → जब एजेन्सी की स्थापना पक्षकारों के व्यवहार या आचरण द्वारा होती है तो उसे गर्भित ठहराव द्वारा स्थापित एजेन्सी कहा जाता है. ऐसी एजेन्सी स्पष्ट उच्चारण व लिखित प्रलेख द्वारा स्थापित नहीं होती है बल्कि आपसी व्यवहार व आचरण के आधार पर स्वत: स्थापित हो जाती है.

(C) प्रदर्शन द्वारा स्थापना — जब कोई व्यक्ति अपने शब्दों या आचरण द्वारा जान बूझकर किसी दूसरे व्यक्ति को इस बात का विश्वास दिलाता है कि कोई विशेष व्यक्ति उसका एजेन्ट है, जबकि वास्तव में नहीं है. और दूसरा व्यक्ति इस बात पर विश्वास करके उस विशेष व्यक्ति के साथ अनुबंध कर लेता है उसे प्रदर्शन द्वारा स्थापित एजेन्सी कहा जाता है.

(D) आवश्यकता द्वारा एजेन्सी की स्थापना →

जब किसी संकटकालीन अवस्था में किसी एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के लिए कार्य करना पड़ता है, तब ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों के बीच आवश्यकता के परिणामस्वरूप एजेन्सी उत्पन्न हो सकती है, जिसे आवश्यकता द्वारा एजेन्सी की स्थापना कहा जाता है. ऐसी एजेन्सी के लिए निम्न-लिखित शर्तों का होना आवश्यक है —

Scanned with CamScanner

(i) संकटकालीन परिस्थितियाँ विद्यमान हैं।
(ii) उपलब्ध समय के भीतर मालिक से संपर्क करना असंभव है।
(iii) तुरंत कार्यवाही करने की वास्तविक एवं व्यावहारिक आवश्यकता होना।
(iv) एजेन्ट को मालिक के हित में सद्भावपूर्वक कार्य करना।

(6) पुष्टिकरण द्वारा एजेन्सी की स्थापना — जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की ओर से तथा उसी के नाम से अपनी स्वेच्छा से कोई कार्य कर लेता है, तो वह दूसरा व्यक्ति उसकी पुष्टि कर देता है, ऐसे स्थापित एजेन्सी को पुष्टिकरण द्वारा एजेन्सी की स्थापना कहा जाता है।